व्यवहार न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
वेबसाईट :– https://chaibasa.dcourts.gov.in/
ई–मेल आई0डी0 :– civilcourt.chaibasa@gmail.com
फैक्स :– 06582-256398

संख्या : 541
तिथि : 25/06/2025

सीलबंद निविदा आमंत्रण सूचना

निर्देशानुसार, व्यवहार न्यायालय, चाईबासा परिसर में कैंटीन संचालन हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी होटल व्यवसायियों से मुहरबंद निविदा निम्न शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है :–

निविदा आमंत्रित करने वाली संस्था का नाम	व्यवहार न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
मासिक किराया	न्यूनतम रु0 4,600/– (चार हजार छः सौ) रुपये मात्र
कैंटीन संचालन का समय	प्रातः 10:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक
वेबसाईट पर निविदा का प्रकाशन	30.06.2025 पूर्वाह्न 11:00 बजे
निविदा संबंधित दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	15.07.2025 अपराह्न 04:00 बजे
निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	18.07.2025, पूर्वाह्न 11:00 बजे, व्यवहार न्यायालय के सभा कक्ष

नोट :–

1. कैंटीन संचालन के इच्छुक होटल व्यवसायी, निविदा के संबंध में व्यवहार न्यायालय, चाईबासा की वेबसाईट **https://chaibasa.dcourts.gov.in/** पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2. अंतिम तिथि के बाद निविदा से संबंधित कोई भी सूचना व्यवहार न्यायालय, चाईबासा की अधिकृत वेबसाईट तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी।

निर्देशन

1. सीलबंद निविदा को निबंधक, व्यवहार न्यायालय, चाईबासा के कार्यालय में जमा किया जा सकता है (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) अथवा स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। सीलबंद निविदा को **"निबंधक, व्यवहार न्यायालय, चाईबासा"** के पते पर भेजा जाएगा। सीलबंद लिफाफे के ऊपर **"कैंटीन संचालन बावत् निविदा"** लिखा होना चाहिए। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **15.07.2025 संध्या 04:00 बजे** तक होगी। नियत समयावधि उपरांत प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. एक लिफाफे में एक ही आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। एक ही लिफाफे में एक से अधिक आवेदन होने पर सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।

3. निविदा (Quotations) अंग्रेजी या हिन्दी में टाईप/स्वहस्तलिखित होनी चाहिए।

4. संवेदक को व्यवहार न्यायालय, चाईबासा परिसर में नियत स्थान (कुल क्षेत्रफल 325 वर्ग फीट) पर कैंटीन चलाने का कार्य दिया जाएगा। कैंटीन का संचालन न्यायालय के कार्य दिवसों में निर्धारित समयावधि में ही किया जाएगा। सार्वजनिक अवकाश दिवस में आवश्यकता होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के आदेशानुसार ही कैंटीन का संचालन किया जा सकेगा।

5. यदि किसी भी स्तर पर न्यायालय परिसर के अंदर या बाहर संवेदक की संलिप्तता किसी अनावश्यक गतिविधि में पायी जाती है, जिससे न्यायालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है, तो इस संस्थान के सक्षम पदाधिकारी द्वारा एक महीने का अग्रिम नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। यदि संवेदक अनुबंध समाप्त करना चाहता है, तो उसे कम से कम दो महीने का अग्रिम नोटिस देना होगा।

6. संवेदक को कचरे का निपटान अपने खर्च पर न्यायालय परिसर के बाहर करना होगा तथा परिसर को साफ रखना होगा।

7. समिति के पास सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये, अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

8. कैंटीन परिसर का उपयोग कठोरता से केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए आवंटन किया गया है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

9. अनुबंध की अवधि 11 (ग्यारह) महीने की होगी। 11 महीने की अवधि पूरी होने के बाद संवेदक के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति के बाद अनुबंध को आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। आपसी सहमति के आधार पर अनुबंध का नवीनीकरण सभी संबंधित नियमों के अधीन होगा।

10. कैंटीन का मासिक किराया माह के प्रथम तीन कार्य दिवस के अंदर चालान के माध्यम से नजारत, व्यवहार न्यायालय, चाईबासा में जमा करना होगा।

11. कैंटीन संचालन हेतु विद्युत आपूर्ति कैंटीन संचालनकर्ता के नाम से पृथक से विद्युत कनेक्शन लेना होगा, जिसकी राशि नियमानुसार जमा करने का उत्तरदायित्व कैंटीन संचालनकर्ता का होगा।

12. संवेदक को स्वयं सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराने होंगे। आग के खतरे को रोकने के लिए उसे उचित स्थानों पर अग्निशामक यंत्र आदि लगाने होंगे।

13. कैंटीन परिचालन के समय या इसी प्रकार के किसी अन्य परिवर्तन के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होगी।

14. संवेदक द्वारा बंद निविदा के साथ पहचानपत्र जैसे आधारकार्ड, पैनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि में से किसी एक दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

निबंधक,
व्यवहार न्यायालय, चाईबासा।

निविदा हेतु प्रपत्र

पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाएं

सेवा में,

निबंधक,
व्यवहार न्यायालय, चाईबासा।

विषय :— व्यवहार न्यायालय, चाईबासा में कैंटीन सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में निविदा।

महाशय,

व्यवहार न्यायालय, चाईबासा में कैंटीन सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में मैं अपनी निविदा प्रस्तुत करता हूँ।

संवेदक का नाम एवं पता	
मोबाईल नंबर	
कैंटीन का न्यूनतम किराया 4600/— प्रतिमाह होगा	रु० रुपये

(संवेदक का हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

Format of Bid

To,

The Registrar,
Civil Court, Chaibasa.

Paste your recent passport size Colour photo

Subject: Bid for providing Canteen Services at Civil Court, Chaibasa.

In response to your advertisement for providing "Canteen Services" at Civil Court, Chaibasa, I/We herewith submit our Bid:-

Name and address of the Bidder	
Contact No	
Minimum rent of Canteen shall be @ 4600/- per month	Rs. (Rupees)

(Signature of Bidder)

Place: _____

Date: _____